S@MPADA

कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, मध्यप्रदेश भोपाल

(पंजीयन भवन, प्लाट 35-ए, अरेरा हिल्स, जिला न्यायालय के पीछे, भोपाल – 462011)

क्रमांक/607/सम्पदा/2018 भोपाल , दिनांक 1/05/2018

प्रति,

समस्त उप महानिरीक्षक पंजीयन,
समस्त जिला पंजीयक/ वरिष्ठ जिला पंजीयक,
समस्त उप पंजीयक/ वरिष्ठ उप पंजीयक ।

विषय : मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम 2010 में अधिसूचित सेवा क्र. 43.1 दस्तावेजों का पंजीयन ।

1. **सेवा का उद्देश्य :-** दस्तावेजों का पंजीयन ।
2. **पदाभिहित अधिकारी एवं समय - सीमा :-** उप पंजीयक/ वरिष्ठ उप पंजीयक, 24 घंटे ।
3. **आवेदन पत्र एवं प्रारूप :-** आवेदन ऑनलाइन सेवाप्रदाता के माध्यम से किया जायेगा ।
4. **पात्रता की आवश्यक शर्तें :-** भारतीय स्टाम्प एक्ट 1899 एवं रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 के अंतर्गत ।
5. **आवश्यक दस्तावेज :-** बिंदु क्रमांक 2 अनुसार ।
6. **उप पंजीयक/ वरिष्ठ उप पंजीयक के कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी :-**

6.1 ऑनलाइन ई-पंजीयन के अंतर्गत स्लॉट बुकिंग के अनुरूप दस्तावेज को उप स्थापित किया जायेगा ।

6.2 भारतीय स्टाम्प एक्ट 1899 एवं रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की विधिक अनिवार्यताओं को पूर्णत करते हुए ई-पंजीयन की कार्यवाही की जाएगी ।

6.3 विधिक अहर्ताओं एवं तकनीकी अवरोध के ना चलते हुए दस्तावेज का पंजीयन पदाभिहित अधिकारी नियमानुसार सम्पादित करेंगा ।

7. **आवेदन निराकरण की प्रक्रिया -**

7.1 अपीली अधिकारी विभाग पोर्टल के माध्यम से डिलीवरी रिपोर्ट का निरीक्षण करेंगे यदि रिपोर्ट के अनुसार विधिक अथवा तकनीकी कारणों के अधीन किसी दस्तावेज

का पंजीयन समय अनुकूल नहीं किया गया है तो 30 दिवसों के भीतर उक्त दस्तावेज के पंजीयन संबंधी कार्यवाही नियमानुसार सम्पादित करवाएंगे |

7.2 द्वितीय अपीली अधिकारी अपने सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही करेंगे |

8. शुल्क -

8.1 भारतीय स्टाम्प एक्ट 1899 एवं रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 के अंतर्गत प्रदाय किये गए शुल्क के अनुरूप कार्यवाही की जाएँगी |

Kh

महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश |

क्रमांक 1608 /सम्पदा/2018 भोपाल, दिनांक 01/05/2018

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य सचिव, मंत्रालय मध्यप्रदेश भोपाल।
2. मुख्यमंत्री के सचिव, मंत्रालय मध्यप्रदेश भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग की ओर सूचनार्थ |
4. सचिव, लोक सेवा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय मध्यप्रदेश भोपाल।
5. संभागायुक्त, समस्त मध्यप्रदेश।
6. कार्यपालन संचालक, राज्य लोकसेवा अभिकरण भोपाल मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
7. NIC मंत्रालय मध्यप्रदेश भोपाल की ओर भेजकर लेख है कि, परिपत्र वेवसाईट पर अपलोड की कार्यवाही करें |

महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश |